रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-**1499**/2026/1273/22-02-2026-17(643)/2026
लखनऊ: दिनांक: **30** अक्टूबर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम बहादुर सिंह (बन्दी सं0-263/2023) पुत्र श्री राधेश्याम, सिंघवल, थाना-कौशाम्बी, जनपद-कौशाम्बी का निवासी है, जिसे एस0टी0नं0-407/1993 में धारा-147, 148, 302/149 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-08, इलाहाबाद के दण्डादेश दिनांक 22.06.2023 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी के ऊपर उक्त वाद के अतिरिक्त 1-एस०टी०सं०-3353/14, धारा-25 आर्म्स एक्ट में 06 माह की सजा व जुर्माना 2500/-रू० जमा नहीं करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास। 2-एस०टी०सं०-2889/14, धारा-25 आर्म्स एक्ट में 06 माह की सजा व जुर्माना 1000/- रू० जमा नहीं करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास एवं पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी की रिपोर्ट के अनुसार बन्दी के ऊपर उक्त वाद के अतिरिक्त 10 अन्य वाद पंजीकृत है, बन्दी द्वारा दिनांक 15.11.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 04 माह, 17 दिन तथा 03 वर्ष, 11 माह, 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट कौशाम्बी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-**1499**/2026/1273(1)/22-2-2026 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी
3- पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in